समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)

–: आम सूचना :–

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा– 04 अंतर्गत एन०टी०पी०सी०, एम०जी०आर०, रेलवे लाईन निर्माण हेतु अंचल महागामा अंतर्गत ग्राम– बालाचीनी, महागामा, बलियाकुर्मीकित्ता, रवियाडीह संथाली, बालाचीनीकित्ता, रक्शाकित्ता एवं अंचल बोआरीजोर अंतर्गत ग्राम– लीलातरी, बड़ा खदहरा में भूमि अधिग्रहण हेतु कुल रकवा– 42.68 एकड़ के लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन (SIA) का कार्य किया गया है। सोशल एक्शन फोर रूरल डबलवमेंट (शारदा) रामगढ़ के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण को समुचित जगह पर प्रकाशित किया जा चुका है।

उपरोक्त अधिनियम के धारा– 05 अंतर्गत सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (SIA) के प्रतिवेदन हेतु लोक सुनवाई किया जाना है। निम्नलिखित स्थान/विवरण के अनुसार लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है:–

क्र०	अंचल	ग्राम	रकवा (एकड़ में)	ग्राम सभा का स्थान	दिनांक	समय
1	महागामा	महागामा	13.75	पंचायत भवन, महागामा	10/08/2017	11:00 बजे पूर्वाहन् से
2		बालाचीनीकित्ता	00.74	पंचायत भवन, महागामा	10/08/2017	02:00 बजे अपराहन् से
3		बालाचीनी	09.64	आंगनबाड़ी केन्द्र, बागजोरी	11/08/2017	11:00 बजे पूर्वाहन् से
4		बलियाकुर्मीकित्ता	06.47	उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, बलियाकुर्मीकित्ता	11/08/2017	02:00 बजे अपराहन् से
5		रवियाडीह संथाली	09.25	उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय, रवियाडीह संथाली	12/08/2017	11:00 बजे पूर्वाहन् से
6		रक्शाकित्ता	00.04	आंगनबाड़ी केन्द्र, रक्शाकित्ता	12/08/2017	02:00 बजे अपराहन् से
7	बोआरीजोर	लीलातरी	02.69	उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय, लीलातरी	11/08/2017	11:00 बजे पूर्वाहन् से
8		बड़ा खदहरा	00.10	आंगनबाड़ी केन्द्र, डुमरिया	11/08/2017	02:00 बजे अपराहन् से

प्रभावित संबंधित ग्राम के अंतर्गत परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों से अनुरोध है कि उक्त लोक सुनवाई में उपस्थित होकर सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के संबंध में अपना–अपना विचार रखने का कष्ट करेंगे।

उपायुक्त–सह–समुचित सरकार
गोड्डा (भू–अर्जन, 5000 हेक्टेयर)

ज्ञापांक :.....881...... / भूअ0 गोड्डा दिनांक :...25/07/2017

प्रतिलिपि :– प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिगण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशासक–सह–अपर समाहर्त्ता, गोड्डा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। आम सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि आम सूचना को दो स्थानीय भाषा के क्षेत्रीय संस्करण के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रकाशित समाचार पत्रों के प्रेस कतरन को जिला भू–अर्जन कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, महागामा / बोआरीजोर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रतिनिधिगण को आम सूचना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना सुनिशित करे एवं तामिला प्रति जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, महागामा / बोआरीजोर को निदेश है कि लोक सुनवाई से संबंधित आम सूचना को सूचना–पट पर प्रदर्शित करते हुए प्रचार–प्रसार डुगडुगी बजाकर प्रभावित क्षेत्रों में करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– आरक्षी अधीक्षक, गोड्डा को सूचना प्रेषित। अनुरोध है कि लोक सुनवाई हेतु विधि–व्यवस्था संधारण के लिए प्रर्याप्त पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा / महागामा लोक सुनवाई हेतु विधि–व्यवस्था संधारित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आम सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे।

प्रतिलिपि :– स्टेट हेड, श्री शिशिर कुमार, सोशल एक्शन फोर रूरल डबलप्मेंट्र (शारदा) रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि बैठक में भाग लेने हेतु स्वंय या अपने नोडल पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– समुह महाप्रबंधक, एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड, कहलगॉव, भागलपुर / विभागाध्यक्ष (मा0सं0), एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड, कहलगॉव, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि आवश्यक व्यवस्था यथा– मंच / टेन्ट / प्रर्याप्त कुर्सी / पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। लोक सुनवाई हेतु प्रचार–प्रसार में अंचल अधिकारी महागामा / बोआरीजोर को सहयोग करेंगे।

उपायुक्त–सह–समुचित सरकार
गोड्डा (भू–अर्जन, 5000 हेक्टेयर)